सं. डब्ल्यू-11041/09/2015-जल -I
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉंपलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 17 दिसंबर, 2015

सेवा में,
प्रधान सचिव/ सचिव
प्रभारी, ग्रामीण जलापूर्ति

विषय : सांसद आदर्श ग्राम योजना-ग्राम पंचायत (एसएजीवाई-जीपी) में पाइप से जलापूर्ति का कार्यान्वयन।

महोदय,

यह दिनांक 14.12.2015 के समसंख्यक पत्र तथा उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 07.12.2015 को राज्यों के साथ की गई वीडियो कांफ्रेंस के अनुसरण में है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एतदद्वारा अनुरोध है कि वे जनवरी, 2016 की समाप्ति तक पाइप से जलापूर्ति(पीडब्ल्यूएस) से सांसद आदर्श ग्राम योजना-ग्राम पंचायत (एसएजीवाई-जीपी) को कवर करने हेतु परियोजनाओं को संस्वीकृति दें। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्कीमों को राज्य के प्रधान सचिव/सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति दी जा सकती है जिसे बाद में राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा पुष्टि की जाए।

राज्यों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी कार्य योजना 31.12.2015 तक निश्चित कर ले और उसका अनुपालन 31.01.2016 तक करें।

भवदीय

(राजेश कुमार)
निदेशक (जल)
011-24363215